शोध मंथन Vol. XVI No.4 Oct.- Dec. 2025 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X, Impact Factor 8.877 (SJIF)
https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.94

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की प्रस्थिति के बदलते प्रतिमान

प्राप्तिः 21.11.25
स्वीकृतः 12.12.25

94

सविता कुमारी
शोधार्थी (समाजशास्त्र विभाग)
के. जी. के महाविद्यालय
मुरादाबाद (उ0प्र0)
ईमेलः*sarasavita8@gmail.com*

डॉ. ममता रानी
प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग)
के. जी. के (पी0 जी0) कॉलेज
मुरादाबाद (उ0प्र0)
महात्मा ज्योतिबाफुले वि.वि.बरेली

सारांश

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाएं समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं भारतीय समाज के विकास में महिला व पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जिसे प्रकृति ने स्वीकार किया है जितनी महत्वपूर्ण भूमिका पुरुष की है उतनी ही महिलाओं की भी होती है यह बात और है कि देश की सामाजिक स्थितियों और परंपराओं के कारण महिलाओं के योगदान को न तो महत्व दिया गया और न ही अवसर प्रदान किया गया भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती राज को राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है संविधान की धारा 40 में ग्राम शासन की बात इस प्रकार से लिखी गई है ''राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उसको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो'' इस प्रकार संविधान की धारा 40 (पंचायती राज व्यवस्था) राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण अंग है पंचायती राज की योजना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा शक्ति का अधिकारिक विकेंद्रीकरण का प्रयत्न है इस दृष्टि से 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है इससे देश की लगभग आधी आबादी जो कि महिलाओं की है को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है जिससे वंचित वर्गों को अधिकार देने संबंधी एक मौन क्रांति का सूत्रपात हुआ है।

प्रस्तावना

महिला एवं पुरुषों के बीच असमानताएं एवं महिलाओं के प्रति भेदभाव कई वर्षों से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है यह समानता शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक राजनीतिक अस्तित्व को लेकर है महिलाओं की प्रस्थिति को ठीक से समझने के लिए विभिन्न कारकों के बारे में जानना अनिवार्य हैं महिलाओं की प्रस्थिति को पहचाने के लिए ऐतिहासिकता अनिवार्य है क्योंकि भारत में 2000 सालों से भी अधिक की सांस्कृतिक विरासत रही है लेकिन महिलाएं आज भी आर्थिक रूप से

आत्मनिर्भर और स्वतंत्र नहीं है कोई भी निर्णय चाहे वह स्वयं के भविष्य के निर्माण के लिए ही क्यों न हो नहीं ले सकती है प्रत्येक निर्णय में परिवार और समाज का काफी दबाव होता है भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां अधिकांश महिलायें विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सकी हैं लंबे ऐतिहासिक विवरण वाले इस देश में महिलाओं की दशा हमेशा एक ही रही हो ऐसा नहीं है इतिहास के आलेख भारतीय समाज में महिलाओं की अलग–अलग स्थितियों का वर्णन करते हैं क्योंकि समाज एक गतिशील इकाई होता है और शनैः शनैः इसकी मान्यताओं में परिवर्तन भी संभव होता है एक समाज से दूसरे समाज में एक काल से दूसरे काल में महिलाओं की भूमिका में अंतर रहा है इसमें समय के साथ परिवर्तन हुआ है समाज में महिलाओं की प्रस्थिति के बोध के लिए लिंग आधारित भूमिका विभेदीकरण का बोध जरूरी है प्रस्थिति और भूमिका सत्ता और स्थिति की अवधारणों से परस्पर सबंद्ध है भूमिका एक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सत्ता सौंपता है अन्य शब्दों में बहुत हद तक घरेलू और सामाजिक क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं द्वारा उपयोग की जा रही सत्ता द्वारा प्रस्थिति का निर्धारण होता है।

मानव संसाधन का आधा हिस्सा महिलाएं हैं ये एक प्रकार से देश की राजनीतिक आर्थिक संप्रभुता एवं संपदा की बराबरी की हिस्सेदारी है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान ने जहां एक ओर पंचायती राज को स्थापित कर देश में विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है वहीं दूसरी ओर महिलाओं के लिए न्यूनतम एक तिहाई स्थान भी आरक्षित कर दिए।

अध्ययन के उद्देश्य

1. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. पुरुषों की तुलना में महिलाओं के द्वितीय स्थिति का अध्ययन करना।
3. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी का आंकलन करना।

शोध की प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीय उपकरण पर आधारित है विभिन्न कहानियां, इंटरनेट, समाचार पत्र, लेखों और विभिन्न वेबसाइटों से प्राप्त किए गए हैं इस अध्ययन का उद्देश्य ''पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की प्रस्थिति के बदलते प्रतिमान'' पर शोध करना है मूल समस्या आंकड़े संयोजन द्वारा यह अध्ययन पूरा किया गया है भारत में महिलाओं की प्रस्थिति को विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है।

पंचायती राज में महिलाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पर विचार करने से पूर्व महिलाओं की बदलती प्रस्थिति पर संक्षेप में विचार कर लेना यहां उचित रहेगा महिलाओं की प्रस्थिति से तात्पर्य यह है कि एक समाज विशेष में महिलाओं का क्या स्थान है उन्हें पुरुषों से ऊंचा, बराबर या नीचा क्यों माना जाता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी समाज की संस्कृति में महिलाओं के प्रति पुरुषों का क्या दृष्टिकोण पाया जाता है महिलाओं की प्रस्थिति ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े परिवर्तनों का सामना किया है महिलाएं इतिहास के काफी गतिशील दौर से गुजरी हैं विकास में महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए हमें उनके इतिहास को विभिन्न काल खंडों में बांटकर समझना होगा।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.94

वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति

इस काल में महिलाओं की स्थिति उनके अधिकार और समाज में उनकी भूमिका को एक स्वर्ण युग कहा जाता है महिलाओं के पास पर्याप्त स्वतंत्रता थी इस काल के प्रारंभिक वर्षों में महाभारत, रामायण जैसे महाकाव्यों की रचना हुई, एक महिला स्वयंवर के जरिए अपने वर का चुनाव कर सकती थी किंतु स्वयंवर जैसे विवाह उच्च राजघराने की बेटियां ही कर सकती थी क्योंकि उनके पिता (राजा) के पास इतना सामर्थ्य होता था कि वे बड़े–बड़े राजकुमारों को इस समारोह में आमंत्रित कर सकते थे वैदिक युग वह युग था जहां महिलाओं को समानता, शिक्षा, स्वयंवर और धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी वे तीरदांजी से लेकर शास्त्रार्थ में भी निपुण थी महिलाएं युद्ध के मैदान में युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त करके युद्ध भूमि पर भी जाया करती थी स्पष्ट है कि इस समय तक महिलाओं की स्थिति संतोषजनक थी इस काल में जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा इन धर्म में महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा गया अनेकों महिलाएं धर्म प्रचार के कार्यों में लगी हुई थी किंतु समय के अंतराल के बाद इन धर्मों का पतन होने लगा धर्म के पतन के साथ ही महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी मनुस्मृति जिसे एक महान न्याय संहिता कहा जाता था इसके द्वारा सर्वप्रथम महिलाओं की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया उन्हें वेदों को पढ़ने और धार्मिक अनुष्ठानों को करने से रोक दिया उन्हें धार्मिक व सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया।

उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति

उत्तर वैदिक काल आते–आते महिलाओं की स्थिति में अनेकों परिवर्तन आए इस काल में आर्य और अनार्यों की पराजय ने उन्हें अपना जीवन स्थिर करने में मदद की आर्य विरोधी न रहने से ऐसे स्थिर जीवन में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी कम हो गई परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति और पद में गिरावट आने लगी सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम हो गई डॉ. अल्केतकर का मानना है कि आर्य पुरुषों ने गैर आर्य महिलाओं के साथ अप्राकृतिक विवाह की शुरुआत की, किंतु आर्य धर्मशास्त्रों में धार्मिक चर्च में गैर–आर्य महिलाओं की भागीदारी का पूर्ण विरोध किया इसी कारण से महिलाओं को धार्मिक जीवन में प्रवेश करने से रोक दिया गया मजबूत जाति व्यवस्था के कारण क्रॉस ब्रीडिंग के डर से बाल विवाह की शुरुआत हुई इस काल के दौरान पितृसत्ता अक्षुण्ण आश्रम में महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था इन तथ्यों से स्पष्ट है कि इस काल के अंतिम वर्षों में महिलाओं पर सिद्धांत रूप में कई नियंत्रण लगा दिए गए मातृ सत्तात्मक व्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश की गई मूलतः महिलाएं अज्ञानी और धार्मिक रीति–रिवाजों से अनभिज्ञ उनका उद्देश्य केवल संतान उत्पत्ति और यौन तृप्ति का साधन बनकर रह गया महिला और पुरुष के बारे में अलग–अलग नियम बनाए गए महाकाव्यों पुराणों और अन्य शास्त्रों को मनुस्मृति के रूप में आदर्श माना गया संपूर्ण पौराणिक काल में ब्राह्मण संस्कृति, जाति व्यवस्था की पहचान, संयुक्त परिवार, स्त्री शिक्षा का अभाव, आर्य परिवार में अनार्य की पत्नी के रूप में प्रवेश और विदेशियों के आक्रमण के कारण महिलाओं की स्थिति सोचनीय थी।

मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति

सामान्यत 1200 ई 1818 ई. तक का काल मध्यकाल माना जाता है मध्यकाल की शुरुआत राजपूत कुलों के उदय से हुई थी यह युग भारतीय महिलाओं के लिए बहुत ही निराशाजनक साबित हुआ शिलालेखों पर आधारित महाकाव्य ही समाज का आधार थे रामायण और महाभारत प्राचीन काल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक भारत में महिलाओं की दशा और दिशा में काफी परिवर्तन आए किसी भी समाज में महिलाओं का जीवन स्तर तत्कालीन समाज की आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उन्नति का प्रतीक होता है जब विदेशी मुस्लिम विजेताओं ने भारत पर आक्रमण किया तब वह अपने साथ अपनी संस्कृति भी भारत ले आए थे भारत में मुस्लिम और तुर्की शासन के शुरुआत होने के साथ ही भारत में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन में परिवर्तन आना तो स्वाभाविक ही था इस युग में महिलाओं की दशा में भारी गिरावट आने लगी इस युग के शासकों की भोग विलास की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ने लगी इसके चलते भारत के मुगल बादशाहों, सरदारों और उच्च धनवान व्यक्तियों ने महिलाओं को केवल अपनी भोग विलासिता की पूर्ति का साधन माना महिलाओं की स्थिति और स्वतंत्रता में गिरावट का एक और कारण यह था कि मूल भारतीय अपनी महिलाओं को बर्बर मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाना चाहते थे क्योंकि इन आक्रमणकारियों के लिए बहु विवाह एक आदर्श था वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी महिला को कहीं से भी उठा लेते थे और अपने हरम में रख लेते थे ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके महिलाओं ने पुरुषों से पर्दा (घूंघट) करना शुरू कर दिया जिसके कारण उनकी स्वतंत्रता और भी ज्यादा प्रभावित हुई उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने पर प्रतिबंधित कर दिया गया और इससे उनकी स्थिति और भी खराब होती चली गई महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया और 5 या 6 वर्ष तक की अबोध कन्याओं का भी विवाह किया जाने लगा महिलाओं का कार्यक्षेत्र केवल घर की चहारदिवारी तक सीमित हो गया विधवाओं को पुना विवाह का अधिकार नहीं था सती प्रथा को बढ़ावा दिया गया पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से महिलाएं पुरुष वर्ग पर निर्भर हो गई इस काल में धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ सर्वाधिक शोषण हुआ इस प्रकार से समाज में एक दुष्चक्र प्रारंभ हुआ जिसके कारण महिलाओं को ही भारी नुकसान झेलना पड़ा इन सब ने बाल विवाह, सती प्रथा, जौहार, भ्रूणहत्या, पर्दा प्रथा और बालिका शिक्षा पर प्रतिबंध जैसी कई कुप्रथाओं को जन्म दिया।

ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति

भारत की आजादी से पूर्व का समय ब्रिटिश शासन का था ब्रिटिश शासन के प्रारंभ में महिलाओं की स्थिति सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुकी थी लेकिन अंग्रेजों ने यहां के लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपनाई भारतीय इतिहास में यह काल पराधीनता का काल था मेटसन ने हिंदू संस्कृति में महिलाओं की निम्न स्थिति के लिए पांच कारणों को जिम्मेदार बताया– हिंदू धर्म, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रणाली, मुस्लिम शासन तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद उस समय बाल विवाह और पर्दा प्रथा महिलाओं की शिक्षा में बाधा बनी हुई थी इस युग में महिलाओं का परंपरागत रूप से घर की चार दीवारें ही उसकी दुनिया होती थी कम उम्र में विवाह हो जाने के बाद उन पर कई तरह के निषेध लगा हुए थे।

ब्रिटिश शासन काल में कई भारतीय समाज सुधारकों ने महिलाओं की दैनिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किये ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन प्रयासों को विशेष सहयोग प्राप्त नहीं हुआ सन् 1828 में सर्वप्रथम राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव रखकर सती प्रथा के विरुद्ध

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.94

आवाज उठाई तथा उसका विरोध किया उन्होंने कहा कि सती प्रथा के संस्कार का शास्त्रों में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है इसलिए इस प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए बाद में एक साल के बाद सन् 1829 में अंग्रेजी शासन की सहायता से एक अधिनियम बनाकर इसे अवैध घोषित कर दिया गया 19वीं सदी के समाज सुधारकों के प्रयासों ने भारतीय इतिहास में महिलाओं की प्रस्थिति को उच्च करने के लिए जो प्रयास किये उसी के परिणाम स्वरूप विभिन्न वैधानिक कानून बनाए गए थे जिन्होंने भारतीय महिलाओं की स्थिति को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय महिलाओं की प्रस्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश में अधिकांश महिलाएं अशिक्षित, रूढ़िवादी, परंपरागत बंधनों में जकड़ी हुई तथा घर की चार दिवारी तक सीमित थी भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तन कर महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक क्षेत्र में कई अवसर प्रदान किये किसके साथ ही भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त कर दिया गया महिलाओं की स्थिति में सुधार का विश्लेषण स्वतंत्रता के बाद बने कानून आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में हुए प्रमुख परिवर्तनों के संदर्भ में किया जा सकता है जैसे– संविधान के अनुच्छेद–14 के अंतर्गत सभी नागरिकों को एक समान नागरिकता अनुच्छेद–15 के अंतर्गत सभी तरह के भेदभाव का निषेध करता है इसके अंतर्गत महिलाएं सभी तरह की सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं वहीं दूसरी तरफ विकास से संबंधित कार्यक्रम विशेष तौर पर महिलाओं के लिए आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए अनेकों संवैधानिक, वैधानिक अधिनियम बनाए गए।

स्पष्ट है क 19वीं और 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अब भी अधिकांश महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में पूरी तरह से भाग नहीं ले पर रही हैं इसका एकमात्र कारण महिलाओं में शिक्षा का अभाव और दूसरा, परंपरागत मूल्यों का अब भी प्रचलित होना है जिनके अनुसार महिलाओं का कार्य क्षेत्र घर के कामकाज तक ही सीमित माना जाता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की प्रस्थिति के बदलते प्रतिमान की वास्तविक प्रस्थिति को जानने का प्रयास किया गया है जैसा कि हम देखते हैं कि भारतीय परंपरा के आधार पर महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा समाज में निम्न स्थान प्राप्त रहा है भारतीय परिवेश में लोगों की अवधारणा रही है कि महिलाओं का कार्यक्षेत्र केवल घर और परिवार तक ही सीमित है चूंकि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु घर से बाहर की दुनिया से भी संपर्क बनाना पड़ता अतः ऐसी स्थिति के लिए भारतीय परंपरा ने घर परिवार के कार्यों को पुरुषों को सौंप दिया और महिलाओं को केवल घर परिवार तक ही सीमित रखा ऐसी स्थिति में महिलाएं अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकती थी व कैसे वह घर परिवार से हटकर अन्य क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाती? 21वीं सदी में कदम रखने वाले भारतीय समाज में महिलाओं को आज भी वह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ जो कि उसे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था इन तमाम

मुद्दों पर समाज में महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विभिन्न शोध हो रहे हैं नारीवादी विचारधारा का समर्थन हो रहा है दुनिया के अधिकांश समाज पितृसत्तात्मक हैं पुरुषों की सामाजिक भूमिकाओं पर विचार करें तो पुरुषों की भूमिका प्रत्येक समाज में श्रेष्ठ रही है जबकि महिलाओं की भूमिका गौण मानी जाती रही है महिलाओं द्वारा किए गए कार्य की सामाजिक स्थिति को निम्न स्तर पर माना गया और पुरुष के कार्य को श्रेष्ठ समझा जाता है पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों को जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त है वहीं महिलाओं को हमेशा अधिकारों से वंचित रखा इसे पुरुषवादी दृष्टिकोण से देखा जाता है इस दृष्टिकोण से धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शैक्षणिक, ऐतिहासिक न्याय के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार किया जाता रहा है यह विडंबना ही कही जाएगी की स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी महिलाए कभी परंपरा के नाम पर कभी धर्म कभी परिवार तो कभी रीति–रिवाज के नाम पर अपने ही घर में दोयम दर्जे की नागरिक बनकर रहती हैं।

भारतीय समाज ने महिलाओं को अनादि काल से राजनीति से दूर रखा है आज अधिकांश देशों में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है जहां महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्राप्त हैं किंतु एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम है आज तक भारत में महिलाओं को 33% आरक्षित सीट देने का विधायक संसद में पारित नहीं हो सका है इसलिए केंद्रीय और राज्य विधानमंडल में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात कम है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधि प्रदान किया पंचायत प्रणाली में 33% आरक्षण के साथ राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है हालांकि स्थानीय राजनीति में महिलाओं का नेतृत्व केवल पुरुष ही करते देखे जाते हैं।

संदर्भ

1. एस. अखिलेश व संध्या शुक्ला (2012): भारतीय नारी कल और आज, गायत्री पब्लिकेशन, रीवा मध्य प्रदेश।
2. प्रो. मान चंद्र खड़ैला (2008): महिला और बदलता सामाजिक परिवेश, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर।
3. सुरेंद्र कटारिया (2007): पंचायती राज संस्थाएं, अतीत वर्तमान और भविष्य, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
4. एन. ओकली (1972) सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी।